

फर्द अहकाम

नाम न्यायालय - न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जयपुर

प्रार्थी सीता बनाम लक्ष्मीनारायण व अन्य
 संख्या 80/25 (2025/252) प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 आर.टी. एक्ट

आज्ञा विस्तृत रूप से विशेष विवरण

2025 प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र प्रार्थी के अधिवक्ता श्री गिरिराज प्रसाद प्रजापत द्वारा विरुद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट के तहत पेश किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थीगण के जरिये नोटिस साधारण/जरिये रजि0 ए.डी. जारी होकर पत्रावली दिनांक 10/07/2025 को पेश हो।


 उपखण्ड अधिकारी
 बस्सी

380
 13/6/25

10/7/25 पत्रावली पेश हुई। उक्तलय द्वारा कन्डोलेन्स कार्ड उपस्थित करने के कारण पत्रावली में कांज नहीं सकी। पत्रावली दिनांक 10/07/25 को पेश हो।

08/07/25 पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित। कार्त्त इन्तजार तामील पत्रावली दिनांक 03/09/25 को पेश हो।

09/07/25 पत्रावली पेश। वकील पक्षकार अनुपस्थित। प्रकरण में कोर्ट समाप्ति तक कोई हाजिरी अदालत नहीं आये। कोर्ट समाप्ति तक रक-रक वार-वार आवज दिखाई गई वकील पक्षकारों की अनुपस्थिति में प्रार्थना पत्र नर अदम हजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जा रहा है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।


 उपखण्ड अधिकारी
 बस्सी जिला-जयपुर